

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अधिलेख संख्या 275/16-17

विषय - बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

21-10-2020

झारखण्ड सरकार के जमांक-2074/रा.0, दिनांक-13.05.2016 संपादन की अनुबन्ध मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-संह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा.0म0निति-119/85/2308/रा.0, दिनांक-03.09.1985 पर एवं अधिलेख संख्या विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा.0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमरूआ खास भूमि की कायम की गयी जायबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अधिने0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नलिखित विवरण की भूमि :-

नाम मिठौरा थाना 13 खाला संख्या 61 प्लॉट संख्या 0.4D एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनावाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाल की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के फकी-11 के खाल संख्या I के पृष्ठ संख्या 200 पर जमाबंदी रैयत देवा मुन्डा पिता मुन्डा मुन्डा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरण की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सद्विध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से पतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अधि कौडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सख्त हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं शक्ति को प्रतिष्ठा करना है।

उपरोक्त उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरण की जमीन की सख्त जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित भूल बखर्तियों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्या नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुरोधित किया जाय।

अधिलेख दिनांक 27/10/2020 को उपस्थापित करें।

अधिकारी का सहायक

अंचल अधिकारी

9

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
09.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत ठेंगा पहान पिता भुटका पहान के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा मिटकोरा, थाना नं० 13 के सर्वे खतियान में खाता सं० 61, प्लॉट 400 रकबा 0.40 एकड़ भूमि गैरमजुरुआ खास परती कदीम दर्ज है।</p> <p>राजस्व मांग पंजी ii में भाग I के पृष्ठ सं० 200 खाता सं० 61, प्लॉट सं० 400 रकबा 0.40 एकड़ भूमि ठेंगा पहान पिता भुटका पहान के नाम दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। बंदोबस्ती पंजी में भी दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में संबंधित पक्ष का स्पष्ट दखल-कब्जा नहीं है।</p> <p>राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा मौजा मिटकोरा थाना नं० 13 खाता सं० 61, प्लॉट सं० 400 रकबा 0.40 एकड़ भूमि ठेंगा पहान पिता भुटका पहान के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा मिटकोरा, थाना नं० 13 खाता सं० 61, रकबा 0.40 एकड़ भूमि ठेंगा पहान पिता भुटका पहान की जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत नियमानुसार रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित्त संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p> <p>अंचल अधिकारी करा।</p>	